

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/79/2021

रजि० नम्बर
2021/157

प्रवेश तिथि
16.04.2021

निर्णय दिनांक
28.06.2022

01. शेरसिंह पुत्र स्व० श्री लाखाराम, निवासी ग्राम जनकसिंहपुरा, तहसील नीमराना, जिला अलवर राज०।

—अपीलांत

बनाम

01. सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर राज०।

—रैस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार नीमराना दिनांक
21.01.2021 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व अधिनियम
प्रकरण संख्या 54/2021

उपस्थित:— कोई उपस्थित नहीं।

—:निर्णय:—

अपीलांत ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 21.01.2021 जिसके द्वारा अपीलांत को ग्राम जनकसिंहपुर के आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 0.32 है० के 0.01 किस्म गै०मु० रास्ता भूमि पर अवैध कब्जा करने पर अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों० को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम जनकसिंहपुर के आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 0.32 है० के 0.01 किस्म गै०मु० रास्ता भूमि पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021 को अपीलांत को अतिक्रमी मानकर अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्त द्वारा खसरा नं० 74 के दक्षिण छोर पर अपने पुख्ता मकान पर निवास करते चले आ रहे हैं। गैरमु० विवादित रास्ते से अपने रिहायशी मकान में आवागमन के लिए मकान के सामने तरफ दक्षिणी ओर विवादित आम रास्ते के मध्य करीब 3-3 फुट निजी भूमि खाली छोड़ी गई थी। उस रास्ते से लगते हुए तरफ दक्षिण ओर ग्राम के रहवासियों द्वारा अपने अपने रिहायशी मकान बना रखे हैं। जिनके सामने तरफ उत्तरी ओर स्थित गैर मु० रास्ता खसरा नं० 42 की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपने रिहायशी मकान में शामिल की गई है। पटवारी हल्का जनकसिंहपुर बहुत ही भ्रष्ट बेईमान प्रवृत्ती का व्यक्ति है जिसके द्वारा गांव के काफी लोगो से उनके कदमी रिहायशी मकानात गैरकानूनी बताकर अवैध वसूली की जा रही है। अपीलान्त द्वारा वांछित राशी नहीं देने पर अतिक्रमी मानकर रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2021 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। दिनांक 16.03.2021 को जानकारी होने पर अपीलान्त द्वारा बिना देरी के अपील पेश की गई है। पूर्व में अपीलांत को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि० 21.01.2021 अपास्त फरमाया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्त ने आदेश दिनांक 21.01.2021 के विरुद्ध दिनांक 05.04.2021 को पेश किया। जो करीब 2 माह 14 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। फिर भी न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया, जिसमें अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 05.04.2021 को भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व निर्णय दिनांक 21.01.2021 में भी अपीलान्त को अतिक्रमी होने के कारण भौतिक रूप से बेदखल व पैनल्टी से दण्डित किया गया था।

जिला कलक्टर, अलवर

तहसीलदार नीमराना द्वारा अपीलान्त का विवादित आराजी पर पुनः अतिक्रमण होने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण अपीलान्त को 3 माह के सिविल कारावास व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। जिससे अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्ध होता है। अपील अपीलांत खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। तहसीलदार नीमराना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलेक्टर अजमेर
जिला कलेक्टर अजमेर
(राजस्थान)